पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 11, वर्ष 24

ज्ञान तत्व

समाज शास्त्र | अर्थ शास्त्र | धर्म शास्त्र | राजनीति शास्त्र

449

-: सम्पादक :-
बजरंग लाल अग्रवाल
रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 17.06.2024
प्रकाशन की तारीख 01.06.2024
पाक्षिक मूल्य - 2.50/- (दो रूपये पचाय पैसे)

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

महिला कानूनों के दूरउपयोग से संरक्षण, सामायिक आवश्यकता:

आज हम वैचारिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देश भर में महिला पुरुष संबंधों पर बहुत चर्चा हो रही है स्वाति मालीवाल की चर्चा ने भी मामला गर्म कर दिया है। वैसे निर्भया कांड के बाद यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो सैकड़ो ऐसे मामले हुए हैं जिन मे महिलाओं ने झूठे आरोप लगाकर पुरुषों को बदनाम किया है। आसाराम, रहीम सरीखे मामले भी प्रकाश में आ चुके हैं किसी राज्यपाल के विरुद्ध या न्यायाधीश के खिलाफ भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। राधिका खेड़ा अथवा महिला खिलाड़ियों का मामला भी बहुत चर्चा में रहा संदेश खली का मामला या दिल्ली मालीवाल का मामला भी बहुत हाईलाइट हो चुका है। मैं इस प्रकार की सैकड़ो घटनाओं पर गंभीरता से रिसर्च किया तो पाया कि इनमें से 99% मामले झूठे हैं किसी भी मामले में बलात्कार यौन शोषण अथवा महिला अत्याचार का कोई भी मामला नहीं था। सच्चाई यह है कि इस प्रकार के मामले तीन कारणों से उठाए जा रहे हैं या तो कुछ गंभीर अपराधियों को दंड देने के लिए इस प्रकार के मामले आगे बढ़ाये जा रहे हैं अथवा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भी इस प्रकार की महिलाओं का शस्त्र के उपयोग तरह उपयोग किया जा रहा है लेकिन अधिकांश मामले ऐसे हैं जिनमें महिलाएं इस शक्ति के आधार पर पुरुषों को ब्लैकमेल करना चाहती है। महिलाएं अपने स्वार्थ में लंबे समय तक पुरुषों के साथ संबंध बनाकर रखती हैं, इसका लाभ भी उठाती हैं और जब चाहे तब ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देती हैं। मेरे देखने में एक भी ऐसा मामला नहीं दिखा जिसमें किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ हो। यदि अत्याचार किया है महिलाओं ने ही किया है पुरुषों ने नहीं किया है। मेरे विचार से महिला सशक्तिकरण का नारा और बलात्कार के संबंध में बनाए गए नए कानून समाज के लिए बहुत घातक हैं। महिलाओं के द्वारा इस तरह ब्लैकमेलिंग करना किसी भी ष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है।

स्वाति मालीवाल, राम रहीम, आसाराम कर्नाटक का प्रज्वल मामला बंगाल का संदेश खली, राज्यपाल पर लगाया गया आरोप तथा कुछ अन्य ऐसे ही आरोपों की समीक्षा के बाद यह पाया गया। यह सारे आरोप किसी भी रूप में ना अपराध है ना बलात्कार है यह सारे आरोप या तो ब्लैकमेलिंग है या महिलाओं का ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग किया गया है जिसमें एक प्रतिशत मामले भी बलात्कार के नहीं है। आज तक किसी एक भी व्यक्ति ने चर्चा में यह बात नहीं उठाई की यह प्रमुख मामला बलात्कार है या यौन शोषण है। इस चर्चा को आगे बढ़ते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं की समाज में चरित्रहीन महिलाएं और चरित्रहीन पुरुष एक दूसरे का शारीरिक और आर्थिक शोषण करते हैं और इस आपसी सहमति से किए गए शोषण में ही यदि कोई व्यवधान आता है तो कानून का सहारा लेकर एक दूसरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस शोषण में वर्तमान कानून ने धूर्त महिलाओं को एक पक्षीय ताकत दे दी है और वह किसी भी रूप में ब्लैकमेल और शोषण करने में सक्षम है। योन शोषण महिला उत्पीड़न शरीके शब्द पूरी तरह गलत है। महिला अत्याचार शब्द का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अत्याचार सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता अत्याचार किसी के साथ भी हो तो वह अपराध होता है अत्याचार अपराध होता है महिला और पुरुष नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि चरित्रहीन पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ वर्षों खेलती रहती हैं, एक दूसरे को संतुष्ट करती रहती हैं और बीच में कोई व्यवधान आता है तो समाज के सामने न्यायालय के सामने कानून के सामने पहुंच जाती है। अब समय आ गया है कि इस प्रकार के कानून को पूरी तरह हटा दिया जाए जो वर्ग भेद पैदा करते हैं जो महिला और पुरुष के बीच किसी भी प्रकार का टकराव पैदा करते हैं जो सामाजिक एकता को भंग करते हैं। इस प्रकार के किसी कानून की जरूरत नहीं है। अत्याचार अत्याचार होता है अत्याचार को अपराध कहा जाना चाहिए महिला और पुरुष का भेद नहीं होना चाहिए। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि चरित्रहीनों के खेल से अब हमें बाहर निकालने की जरूरत है।

मैं दिल्ली शहर में 5 वर्ष तक रह। मैंने दिल्ली में एक जगह एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ देखा जिस बोर्ड में यह लिखा हुआ था कि महिलाओं पर अत्याचार कानूनन अपराध है। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप यह बताने की पा करें कि भारत में किन लोगों पर अत्याचार कानूनन करने की छूट है एक भी व्यक्ति ने यह उत्तर नहीं दिया कि बोर्ड सही है लेकिन वह बोर्ड आज तक इसी तरह लगा हुआ है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि अत्याचार अपराध है या महिलाओं पर अत्याचार अपराध है। कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि आदिवासियों पर अत्याचार कानूनन अपराध है। मेरे विचार से समाज को महिला और पुरुष आदिवासी और गैर आदिवासी में बांटकर वर्ग संघर्ष पैदा करना घातक है। इस प्रकार के जो बोर्ड है इनको हटा देने की जरूरत है। इस धारणा को पूरी तरह हटा दीजिए की महिलाओं पर अत्याचार ही कानूनी अपराध है बाकी सारे अत्याचार करने की छूट है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे पूर्वजों ने महिलाओं, आदिवासियों दलित तथा श्रमजीवियों के साथ कुछ अत्याचार किए होंगे वे अत्याचार उस समय की स्थिति के अनुसार थे या हमारे गलत स्वभाव के कारण थे यह एक अलग विषय है लेकिन अत्याचार हुए यह बात सही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी पीढ़ियों की गलतियों के कारण अब वे लोग हम लोगों पर अत्याचार करें। यदि हम लोगों के साथ अत्याचार होता है तो यह वर्ग संघर्ष होगा और उस संघर्ष में भी वे लोग कमजोर पड़ सकते हैं हम लोग मजबूत पड सकते है। इसलिए वर्ग संघर्ष किसी भी तरीके से ना उनके लिए उचित है ना कोई समाधान है। इस प्रकार की गलतियों का यह समाधान हो सकता है कि ना ऐसी गलतियां भविष्य में की जाएं और ना ही पुरानी गलतियों के नाम पर लाभ उठाने की कोशिश की जाए। लेकिन इन गलतियों का समाधान खोजने की अपेक्षा कुछ धूर्त लोग अपने राजनीतिक सामाजिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार की गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर वर्ग संघर्ष पैदा कर रहे हैं। समाज में महिला-पुरुष, आदिवासी, गैर आदिवासी, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी का भेद पैदा करके इसका लाभ उठाना यह राजनीतिज्ञों का तो चरित्र है ही उनके साथ-साथ कुछ

तथाकथित समाजसेवी भी इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। हम इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं हम चाहते हैं कि संवैधानिक स्तर पर तथा कानूनी स्तर पर अब इस प्रकार के अत्याचारों को रोक दिया जाए साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी स्तर पर समान मान लिया जाए। मैं फिर कहता हूं कि महिला उत्पीड़न, आदिवासी अत्याचार, दलित अत्याचार आदि के नाम पर जो लोग समाज में विभाजन पैदा करते हैं इस प्रकार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अब हम लोगों को ऐसे मामलों में गलती स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इस बात की कि सब लोग समान रूप से समान अधिकार के आधार पर रहने के लिए तैयार हों और जो लोग इसके लिए न तैयार हों उनके विरुद्ध पूरा समाज एकजुट हो जाए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी आधार पर वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वालों को समाज विरोधी मान लेना चाहिए। राजनेताओं को भी इस मामले में सावधान रहना चाहिए हमें महिला सशक्तिकरण दलित उद्धार आदिवासी सशक्तिकरण जैसी बातें छोड़ देनी चाहिए। सब लोग समान स्तर पर समान अधिकार के रूप में रहना शुरू करें और जो लोग ना शुरू करें उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए।

सामाजिक सद्भाव के उपाय :

कौन कहता है, सामाजिक सद्भाव बुरी बात है?

किन्तु कुछ विद्वतजन ऐसे हैं जो जंगल के सताए हुए जानवरों के बजाय, भेड़ियों और भेड़ बकरियों के बीच सद्भाव पैदा करना चाहते हैं. वे कहते हैं, भेड़ियों की बुराई करने से सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी, उनका मानना है कि भेड़िये का अपना विचार है और भेड़-बकरियों का अपना विचार है, दोनों को अपना -अपना विचार मानने की स्वतंत्रता है. भेड़-बकरियां अपने ही विचार श्रेष्ठ क्यों मानती हैं? जंगल के दूसरे जानवरों पर वे अपने विचार थोपना क्यों चाहती हैं?

उनका मानना है कि भेड़िये, भेड़-बकरियों के मुकाबले उच्च नस्ल में पैदा हुए हैं. ईश्वर और प्रति ने उन्हें अधिक बलशाली और विचारवान निर्मित करके जंगल में भेजा है,

अपने पैने और नुकीले दांतों से भेड़ -बकरियों को चीर कर खा जाने का उन्हें दैवीय वरदान प्राप्त है, भेड़िये स्वयं, जंगल में हमेशा सामाजिक सद्भाव का वातावरण रखना चाहते हैं. किन्तु भेड़-बकरियां जोर जोर से चिल्ला कर, भेड़िये के विरुद्ध जंगल के अन्य जानवरों को भड़काने और उकसाने का काम करती हैं, वे दुष्प्रचार करती हैं कि आज भेड़िया हमें खा रहा है, कल वह जंगल के दूसरे जानवरों को भी खा जाएगा। मैंने सामाजिक सद्भाव पर आज एक पोस्ट लिखी थी। मेरे एक साम्यवादी मित्र ने उस पोस्ट के बदले में एक पोस्ट भेजी है। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि भेड़ और भेड़िया प्रातिक रूप से अलग-अलग होते हैं एक नस्ल के नहीं लेकिन मनुष्य और मनुष्य एक नस्ल के होते हैं। मनुष्य और शेर के रूप में नहीं। हम लोग मनुष्य गाय और शेर के बीच में सद्भाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम गाय और गाय के बीच में सद्भाव की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य से साम्यवादी लोग हमारे सामाजिक सद्भाव की सोच को गाय और शेर के बीच सद्भाव समझते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य है कि गायों के बीच में मजबूत और कमजोर का झगड़ा बना रहे और शेर हमेशा उसका लाभ उठाता रहे। मैं आज तक नहीं समझ सका कि भेड़िया और भेड इन दोनों की तुलना करके महेंद्र जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सामाजिक सद्भाव अधिक आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस सामाजिक सद्भाव का लाभ उठाकर अत्याचार करेगा तो कानून उसके लिए दंडित करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन जब तक कोई अपराध नहीं होता है तब तक मनुष्य मनुष्य के बीच में सद्भाव को नुकसान पहुंचाना असामाजिक कार्य माना जाना चाहिए।

हम सामाजिक सद्भाव और वर्ग संघर्ष के बीच तुलना कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे की क्या धार्मिक आधार पर भी हमें सामाजिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए। यह बात सही है कि हिंदुओं ने हमेशा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के पहले भी मुसलमान ने हमेशा सांप्रदायिकता को अधिक महत्व दिया और सामाजिक सद्भाव को कम स्वतंत्रता के बाद भी मुसलमानों ने नेहरू परिवार के साथ मिलकर राजनीतिक स्तर पर हिंदुओं को कमजोर करने का प्रयत्न

किया। हिंदुओं ने सामाजिक सद्भाव बनाने का कोशिश की लेकिन मैंने स्वयं देखा है स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी कि किसी भी प्रकार का हिंदू मुसलमान दंगा मुसलमान पहले शुरू करते थे चाहे वह हजरतबल दरगाह का बाल चोरी का मामला हो या कोई भी अन्य मामला हो हमेशा मुसलमान की भावनाएं भड़क जाती थी और वह आक्रामक हो जाते थे। हिंदू लोग हमेशा मार खाते थे छुप जाते थे उसके बाद सीआरपी आती थी और सैनिक उन मुसलमान का कत्लेआम करते थे। अब पिछले 10 वर्षों से हिंदुओं ने एकजुटता दिखाकर बाजी पलट दी है। अब हिंदू संगठन की तरफ बढ़ रहा है और मुसलमानों धीरे-धीरे सद्भाव की दिशा में बढ़ना शुरू कर रहा है। मेरे विचार से यह शुभ लक्षण है लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह मुसलमान आक्रामक था उसी तरह हिंदू आक्रामक हो जाए। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि मुसलमान के तरफ से सहृदयता का हमें सामाजिक स्तर पर स्वागत करना चाहिए और संवैधानिक स्तर पर हम एकजुट होकर उनकी सांप्रदायिकता को नियंत्रित कर दे अर्थात हम इस प्रकार के कानून बनावें कि मुसलमान अपने संगठन शक्ति के आधार पर किसी भी रूप में आक्रामक ना हो सके। स्पष्ट है कि जो सुरक्षा पुराने जमाने में सेना देती थी, वहीं सुरक्षा हिंदुओं को कानून के द्वारा मिलनी चाहिए और हिंदू मुसलमान का झगड़ा सदा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए।

सत्य की विजय :

कल मुझे समाचार मिला कि भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरी मीशा बंदी पेंशन जो रोक दी थी। वह फिर से चालू कर दी गई है यहां तक कि 5 वर्षों तक भूपेश ने जो 15 लाख रुपया देने से इनकार कर दिया था, वह पुराना बकाया भी दिया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत छोटे-पन से ही मैं नेहरू की नीतियों से घृणा करता था। नेहरू सत्ता के केंद्रीय करण के पक्षधर थे। मैं अकेंद्रीयकरण का पक्षधर था। मैं व्यक्ति परिवार और गांव सबको अधिकतम स्वतंत्रता देना चाहता था, नेहरू गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण वहां की विधानसभाएं

भी कांग्रेस नहीं जीत पाती थी इसलिए आपातकाल में भी मुझे जेल में बंद कर दिया गया। मैं 18 महीने जेल में रहा बाद में मुझे जेल के बदले में सम्मान निधि दी जा रही थी लेकिन राहुल गांधी के दबाव में भूपेश बघेल ने वह सम्मान निधि भी बंद कर दी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पूरे अपने जिले में मैं अकेला ही मीसा बंदी था जिसे घ्25000 महीना सरकार दे रही थी लेकिन भूपेश बघेल को यह भी मंजूर नहीं था। आप विचार करिए कि अपने पूरे कार्यकाल में भूपेश बघेल ने अरबों का भ्रष्टाचार किया भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश में आ बैल मुझे मार के आधार पर जान देने वाले तीन लोगों को 50-50लाख रुपया जाकर सुविधा दी और मेरे जैसे अहिंसक गांधीवादी की बेगुनाह जेल यात्रा का पैसा बंद कर दिया। इतने से ही नेहरू परिवार को संतोष नहीं हुआ। इस परिवार ने आज से 30 वर्ष पहले मुझे नक्सलवादी घोषित कर दिया और गोली मारने का भी आदेश दे दिया गया। मेरे गांधीवादी मित्रों ने तथा साम्यवादी इंद्रजीत गुप्त ने भी मेरी मदद की थी जिससे मेरी जान बच गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं नेहरू परिवार का विरोध जारी रखा। मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि धीरे-धीरे नेहरू परिवार भारत की राजनीति से विदाई ले रहा है। यह इस बात का प्रमाण है की भ्रष्टाचार करने वाले नेहरू समर्थक सभी नेता जेल जा रहे हैं और मेरी रोक दी गई। जेल की पेंशन फिर से बकाया समेत चालू हो गई है। मुझे इस बात पर विश्वास है की न्याय और सत्य की विजय होती है।

अठारहवीं लोकसभा के चुनाव :

चुनाव का यह अंतिम दौर चल रहा है और देश का आम मतदाता यह जानने को उत्सुक है कि किस दल की सरकार बनेगी। मैं भी इस विषय पर कुछ आकलन किया। मैं जानता हूं कि चुनाव में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरनाक होता है फिर भी मैं एक अनुमान कर रहा हूं की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में कुछ सीट घट भी सकती है क्योंकि यह चुनाव पूरी तरह हिंदू मुसलमान के विभाजन पर हो रहा है। मुसलमान का 16% तो एकजुट है लेकिन

हिंदुओं में से कम्युनिस्ट गांधीवादी अंबेडकरवादी और सोशलिस्ट लगभग नरेंद्र मोदी भाजपा के खिलाफ एकजुट है इन्हें कुछ विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल जाता है कुछ स्थानीय स्तर की परिस्थितियों भी प्रभावित करती हैं। पूरे देश में लगभग 200 सीट तो ऐसी हैं जहां इन सब का मिलाकर बहुमत है और यह सीट बीजेपी कभी नहीं जीत सकती शेष 343 सीटों में से ही बटवारा होना है और अगर हिंदू एकजुट हुआ तो 300 के आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटो में कुछ बटवारा हुआ था जो इस बार नहीं दिखता। प्रश्न उठता है इस समस्या का समाधान क्या है। यदि नरेंद्र मोदी देश में मजबूत होना चाहते हैं तो उन्हें कम्युनिस्ट, मुसलमान, अंबेडकरवादी, गांधीवादी इन सब में कुछ विभाजन करना पड़ेगा। कम्युनिस्ट में तो कोई विभाजन हो ही नहीं सकता क्योंकि वह बहुत ही कट्टर और ईमानदार होते हैं। आप ना उन्हें लोभ लालच से तोड़ सकते हैं, ना उन्हें ताकत से दबा सकते हैं मुसलमान में यदि कोई विभाजन की कोशिश होती है तो सावरकर वादी तुरंत डंडा लेकर चढ़ जाते हैं। यदि गांधीवादियों में कोई प्रयत्न भी किया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि गांधीवादी अब बहुत नाम मात्र के बचे हैं और जो बचे हैं वह भी कम्युनिस्ट के गुलाम है। अब तो हमारे पास सिर्फ अंबेडकरवादी ही बचते हैं जिन्हें हम विभाजित कर सकते हैं। इस तरह हमें कुछ ना कुछ नीतिगत निर्णय करने होंगे। हम प्रयत्नपूर्वक मुसलमान और अंबेडकरवादियों में विभाजन की कोई कोशिश कर सकते हैं। हम कांग्रेसियों को पद या धन के लालच में तोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें नरेंद्र मोदी के मजबूत होने का और कोई समाधान नहीं दिखता।

यदि हम नरेंद्र मोदी को 300 सीट से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें मुसलमान, साम्यवादी, गांधीवादी और अंबेडकरवादी या सोशलिस्टों में किसी न किसी प्रकार का विभाजन करना पड़ेगा। मैंने यह भी लिखा था कि कम्युनिस्ट ईमानदार होते हैं, कट्टर होते हैं। उन्हें किसी लोभ लालच से विभाजित नहीं किया जा सकता। गांधीवादी अब नाम मात्र के ही बचे हैं इसलिए उन्हें विभाजन का विशेष लाभ नहीं है। इन दो बातों पर मेरे कुछ मित्रों ने आपत्ति प्रकट की है। मैं यह साफ कर दूं कि

साम्यवादी कैडर बेस पार्टी है, मास पार्टी नहीं है अर्थात साम्यवाद के जो शीर्षास्त्र लोग हैं वे तपे तपाये लोग हैं, सामान्य नागरिक नहीं है। यह साम्यवादी पूरी तरह कट्टर होते हैं, पूरी तरह ईमानदार हैं। आप किसी भी आधार पर उन्हें तोड़ नहीं सकते आप देख लीजिए कि कभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री या बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके लोग भी किस तरह ईमानदार रहे यह प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी इसलिए मेरे विचार से साम्यवादियों को तोड़ना आसान नहीं है। साम्यवादियों को तो आम जनता ने ही कमजोर कर दिया है। रहे गांधीवादी तो गांधीवादी तो पूरी तरह साम्यवादियों के गुलाम हो गए हैं। आप भारत में वर्तमान समय में एक भी गांधीवादी ऐसा नहीं पाएंगे जो साम्यवादी एजेंट ना हो। अगर कोई अपने को गांधीवादी कहता है इसका अर्थ यह है कि वह वर्ग विद्वेष कराएगा ही, हिंसा का समर्थन करेगा ही वह नक्सलवाद और इस्लाम का भी समर्थन करेगा वह दिन रात सिर्फ एक काम करेगा कि वह हिंदुत्व का विरोध करेगा संघ को गाली देगा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रचार करेगा दिन-रात इसके अतिरिक्त वह कोई कार्य नहीं करेगा। कुछ थोड़े से गांधीवादी ऐसे जरूर बचे हैं जो संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं अन्यथा और कोई आपको गांधीवादी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा कि अब गांधीवादियों का अस्तित्व बहुत कमजोर हो गया है और उसके बाद और भी अधिक कमजोर हो गया जब से नरेंद्र मोदी और संघ ने गांधी की लाइन पकड़ ली है। अर्थात जब से भारत की वर्तमान सरकार गांधी की दिशा में कार्य कर रही है, तब से गांधीवादियों की तो पूरी भूमिका ही समाप्त हो गई है। इसलिए मैंने लिखा कि साम्यवादी और गांधीवादी इन दोनों के विषय में किसी प्रयत्न का कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब तो सिर्फ मुसलमान, समाजवादी और अंबेडकरवादियों के बीच ही विभाजन किया जा सकता है।

तुष्टीकरण की नीति पंडित नेहरू के संदर्भ में :

मैंने लगभग 70 वर्ष पूर्व ही यह घोषणा कर दी थी कि पंडित नेहरू भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक हैं, यह दिन रात झूठ बोलते हैं और धर्मनिरपेक्षता का नकाब

पहने रहते हैं। उस समय मेरी बात नहीं मानी गई। सावरकरवादियो ने यह झूठा प्रचार किया कि नेहरू मुस्लिम परिवार के हैं, इस झूठे प्रचार ने सच को ढक दिया। मेरे विचार से सच्चाई है कि नेहरू परिवार राजनीतिक कारण से सांप्रदायिक हो गया था। स्वतंत्रता के बाद उसे पूरी तरह छूट मिली। अब पिछले दो-तीन महीना से नरेंद्र मोदी भी स्वीकार कर रहे हैं कि नेहरू परिवार घोर सांप्रदायिक है, अब तो न्यायालय भी यह बात स्वीकार कर रहा है कि यह परिवार सांप्रदायिक है। जिस तरह इन लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप बदला, जिस तरह इन्होंने शाहबानो प्रकरण में निर्णय लिए, जिस तरह इन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपनाई और अब तो बंगाल में ममता बनर्जी भी जो पूर्व कांग्रेसी ही रही है उसकी भी पोल खुल गई है कि उसने किस तरह छुपे रुस्तम मुसलमान को आरक्षण दिया। सारी घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि नेहरू परिवार घोर सांप्रदायिक है। हिंदू विरोधी है। यह बात यदि चुनाव के पहले साफ हो गई होती तो चुनाव में हिंदू एकत्रीकरण को और अधिक लाभ मिला होता लेकिन ममता बनर्जी का मामला चुनाव के आखिरी चरण में खुल रहा है। अब तो राहुल गांधी के सामने भी मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि उन्ही की पार्टी का एक नेता बंगाल में इस तरह सांप्रदायिकता के पक्ष में खड़ा है। राहुल गांधी इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुंह पर ताला लगा हुआ है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब राहुल, अखिलेश, लालू को सामने आकर यह बताना पड़ेगा कि वह नेहरू परिवार के राजनीतिक वंशज हैं और पूरी तरह हिंदू विरोधी है। अब नाटक करने से काम नहीं चलेगा। अच्छा होता कि 70 वर्ष पूर्व कहीं मेरी बात को गंभीरता से लिया जाता। 70 वर्षों के बाद अब यह बात साफ हो रही है कि नेहरू परिवार पूरी तरह सांप्रदायिक है, उसके रग रग में सांप्रदायिकता है उसके आगे आने वाली सभी पीढ़ियां सांप्रदायिक है और इनका रहना हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

इंडिया गठबंधन की प्रमुख नेता ममता बनर्जी द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर फंस जाने के मामले में राहुल गांधी तथा लालू प्रसाद यादव की तो जवान बंद है ही मैं तो

यह देख रहा हूं कि मैंने जो पोस्ट लिखी है, उस पोस्ट पर नेहरू परिवार के भक्त लोग भी बिलकुल चुप हो गए हैं। आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन एक या दो पोस्ट लिखता हूं और नेहरू भक्त प्रतिदिन कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वे लोग अपने नेहरू भक्ति न दिखाते हो लेकिन राहुल गांधी और अन्य नेताओं की चुप्पी के बाद हमारे नेहरू भक्त मित्रों की भी जवान बंद हो गई है। वह भी यह बात साफ नहीं कर पा रहे हैं कि वह मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं या विरोध में है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात खुलकर कहिए। मैं यदि 70 वर्षों तक लगातार अपनी बात कही है अब आप राहुल गांधी या अन्य नेताओं का मुंह क्यों देख रहे हैं। आप यदि नेहरू परिवार के गुलाम नहीं है तो अपने मन की बात साफ-साफ लिखिए जिससे मुझे यह पता चल सके कि आप कितना स्वतंत्र सोचते हैं। बंगाल की घटना ने आप मित्रों को चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि आप मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है या विरोध में।

न्यायिक स्वतंत्रता की समीक्षा :

आज अरविंद केजरीवाल ने जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, उन्होंने यह बयान दिया है कि भारत की न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम कर रही है। यदि सरकार बदल गई तो 5 जून को मैं न्यायालय से मुक्त हो जाऊंगा। यह बयान बहुत ही खतरनाक है जो लोकतंत्र पर एक प्रश्न खड़ा करता है। अब तक विपक्ष के नेता राष्ट्रपति चुनाव आयोग इडी, सीबीआई इन सब पर आरोप लगाते रहे हैं इन सब पर अनेक प्रकार के आरोप लगे लेकिन अब तक न्यायपालिका पर इतना गंभीर आरोप नहीं लगाया गया था क्योंकि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र मानी जा रही है। हो सकता है कि कोई न्यायाधीश भ्रष्ट हो या किसी के दबाव में आ जाए लेकिन भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है, इस प्रकार के आरोप बहुत ही खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल का मामला सेशन कोर्ट में भी सुना जा रहा है, उच्च न्यायालय भी इस मामले को सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है,

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच भी सुन रही है लेकिन सेशन कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सब के सब सरकार के दबाव में आ गए हैं कोई एक भी न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं है। इस प्रकार के आरोप मेरे विचार से लगाकर इंडिया गठबंधन ने अत्यंत ही अलोकतांत्रिक काम किया है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले हमारे देश की न्यायपालिका सरकारों के दबाव में काम करती थी और अब नई सरकार आने के बाद न्यायपालिका नई सरकार के दबाव में काम कर रही है लेकिन मैंने आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि वह मुख्यमंत्री है और अगर हम दिल्ली की सीटें जीत जाएंगे तो 5 तारीख को हम छोड़ दिए जाएंगे इस प्रकार की घोषणा करना और राहुल गांधी का इस घोषणा के आधार पर चुप रहना यह बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में राहुल गांधी और उनके समर्थक स्पष्ट करें कि क्या अरविंद केजरीवाल के आरोप सही है।

भारत का वर्तमान चुनाव हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रहा है। दोनो गुटों के साथ अनेक पार्टियां जुड़ी हुई है। चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है। बीच में छोटे-छोटे उड़ीसा के आंध्र के या पंजाब के दल हैं। यदि हम सबको विभाजित करें तो इन स्वतंत्र दलों के कुल सांसदों की संख्या लगभग 43 तक हो सकती है अर्थात हिंदुओं और मुसलमान के बीच 500 सीटों में बंटवारा होना है। वर्तमान चुनाव में यदि हिंदुओं का दल लगभग 325 सीटों के आसपास हो जाता है तो यह माना जाएगा कि हिंदुओं की बहुत मामूली जीत हुई है। इसका अर्थ होगा कि अगला चुनाव भी हिंदू और मुसलमान के बीच होना निश्चित है क्योंकि 325 सीटों से अगले 5 वर्षों में मुस्लिम सांप्रदायिकता की कमर नहीं टूट जाएगी वह फिर से अगले चुनाव में इसी तरह अपनी ताकत दिखाएंगे जैसा वर्तमान समय में दिखा रहे हैं लेकिन यदि हिंदुओं की पार्टी 350 सीटों से ऊपर चली जाती है तो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि अब भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा वह बात सच होती दिख रही है क्योंकि इतना अधिक बहुमत पाने के बाद हिंदू पार्टियों के खिलाफ जल्दी से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा कहीं से पैसे

की व्यवस्था नहीं हो पाएगी इसलिए ज्यादा संभावना है कि चुनाव या तो हो ही ना या दिखावे के लिए हो अथवा यह भी संभव है कि अगला चुनाव हिंदू मुसलमान के बीच न होकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित हो जाए। भारत के वर्तमान वातावरण को देखते हुए तो हिंदू पार्टी की संख्या 350 से ऊपर जाती दिखती है लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जिस तरह विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा है, सारा विपक्ष पूरी ताकत से लड़ रहा है। ऐसे में यह भी संभावना हो सकती है कि हिंदू पार्टियों की ताकत 325 से भी कम रह जाए चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि हिंदू पार्टियों को इतना मजबूत कर दे कि मुस्लिम सांप्रदायिकता का भारत में सर उठाना पूरी तरह बंद हो जाए।

वर्तमान चुनाव की संभावना पर कांग्रेस पार्टी दो परिस्थितियों पर विचार कर रही है। यदि सत्तारूढ़ दल को 325 से कम सीट आती हैं तब तो कांग्रेस पार्टी मुसलमान पर भरोसा करेंगी और अगले 5 वर्षों तक इसी तरह सांप्रदायिक बनी रहेगी कि हिंदुओं में जातियों का विभाजन किया जाए और मुसलमान को एकजुट रखा जाए यह नीति कांग्रेस पार्टी की होगी लेकिन यदि सत्तारूढ़ दल 350 के ऊपर चला जाता है तब कांग्रेस पार्टी एक अलग नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का सोचना यह है कि बिना हिंदुओं में विभाजन के कांग्रेस पार्टी जिंदा नहीं रह पाएगी और हिंदुओं में विभाजन का एक ही आधार हो सकता हैं संघ और भाजपा के बीच फूट डालना इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अब धीरे-धीरे यह कहना शुरू कर दिया है कि संघ और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। संघ और भाजपा भविष्य में आपस में टकराएंगे और दोनों के बीच कांग्रेस पार्टी पंच बनकर के किसी एक की मदद करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान या उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल का भी बयान यही बात स्पष्ट करता है। यह दूसरी नीति भी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है क्योंकि उसे यह आभास हो रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी सरकार 350 के ऊपर ना चली जाए। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे आदर्श मार्ग तो यह होगा कि दल विहीन लोकतंत्र हो जाए अर्थात दल पूरी तरह खत्म हो जाए पक्ष और विपक्ष रहे ही नहीं।

लेकिन यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पता है तो अल्पकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी में ही संघ और भाजपा के नाम से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के रूप में काम करना शुरू कर दें जिससे मुसलमान की अकड़ कम हो जाए और नेहरू परिवार से मुक्ति मिल जाए।

धर्मनिरपेक्ष बनाम धर्मसापेक्ष :

भारत धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या हिंदू राष्ट्र, देशभर में ही यह बहस छिड़ी हुई है। बहुत प्राचीन समय में धर्म का अर्थ गुण प्रधान माना जाता था लेकिन मुसलमान के आने के बाद धर्म का अर्थ बदल गया वह संगठन प्रधान हो गया। वह चोटी और दाढ़ी के साथ जुड़ गया, वह ईश्वर और अल्लाह के साथ जुड़ गया, धर्म का गुण प्रधान अर्थ लगभग समाप्त हो गया। स्वतंत्रता के पूर्व गांधी ने कहा था कि भारत किसी प्रकार के संगठन प्रधान धर्म से दूरी बनाकर रखेगा और धर्मनिरपेक्ष होगा। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ने भारत को इस्लाम सापेक्ष बना दिया मुसलमान को विशेष अधिकार दे दिए हिंदुओं के सामान्य के अधिकारों में भी कटौती कर दी। धीरे-धीरे भारत के हिंदू भी संगठित होने लगे और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाई। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि हम लोगों को किस बात का समर्थन करना चाहिए। यह हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाने वाले लोग धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि राज्य को धर्म सापेक्ष होना चाहिए, वे हिंदुत्व को गुण प्रधान धर्म के रूप में देखते हैं जबकि धरातल पर सच्चाई इसके विपरीत है। मेरा यह मत है कि भारत को गांधी की लाइन पर चलना चाहिए भारत को गुण प्रधान धर्म के मामले में पूरी तरह सापेक्ष होना चाहिए और संगठन प्रधान धर्म के मामले में पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। भारत को गुण प्रदान धर्म की सुरक्षा देनी चाहिए। मेरे विचार से वर्तमान राज्य को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि देश का कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने

को स्वतंत्र होगा वह धर्म के आधार पर कोई भी संगठन बना सकता है लेकिन राज्य व्यक्ति को ही मान्यता देगा किसी संगठन अथवा धर्म को नहीं।

अपराध नियंत्रण में न्यायपालिका की भूमिका :

आज छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में चार ऐसे शूटर गिरफ्तार किए गए जो एक गिरोह के द्वारा संचालित थे और किन्हीं दो बड़े उद्योगपतियों की हत्या के लिए भेजे गए थे। यह चारों लोग पहले भी इस प्रकार के अपराधों में जेल जा चुके हैं और जमानत पर या निर्दोष छूट भी चुके हैं। इन चारों अपराधियों को भेजने वाले गिरोह के लोग जेल में बंद हैं और जेल से ही संचालन कर रहे हैं। उन जेल में बंद लोगों का भी प्रमुख मुखिया मलेशिया से संचालित कर रहा है। आप विचार करिए की इस प्रकार की गतिविधियों का दोषी कौन। इसमें न्यायपालिका कितनी दोषी है, विधायिका कितनी दोषी है, कार्यपालिका तो इसमें दोषी नहीं है क्योंकि कार्यपालिका के लोगों ने तो कानून के अनुसार न्यायपालिका के सुपुर्द कर दिया और न्यायपालिका ने प्रमाण न मिलने के आधार पर ऐसे लोगों को छोड़ दिया। गंभीर मामला यह है कि यदि यह अपराध दहेज का होता यदि यह बलात्कार का होता तो अब तक या तो यह अपराधी जेल में होते या फांसी पर चढ़ गए होते लेकिन यह अपराधी बलात्कार में नहीं थे बल्कि हत्याओं में थे हत्याओं के व्यापारी थे इसलिए इनके साथ बहुत नमी बरती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बात-बात में न्यायालय अपने टांग फसाता है लेकिन किसी भी मामले में अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि न्यायालय इस प्रकार के मामलों को 20 वर्ष और 30 वर्ष में निपटारा करता है जबकि बलात्कार शरीखे के मामलों को दो-तीन वर्ष में ही निर्णय कर देता है। मैं यह बात जानना चाहता हूं कि न्यायालय इसमें कितना दोषी है। मैं विधायिका को भी इसमें दोषी मान रहा हूं लेकिन न्यायालय किसी भी रूप में निर्दोष नहीं है।

अभी तीन-चार दिन पहले इस संबंध में जूम पर भी विस्तार से चर्चा हुई थी। हम 15 लोग उस चर्चा में शामिल थे और 13 लोगों ने एक स्वर से पुलिस की

आलोचना की। मैं अकेला था जो अपराधों के बढ़ाने में न्यायालय की भी समान भूमिका समझता था। देश भर में पुलिस के खिलाफ जानबूझकर एक वातावरण बनाया गया है। आप गंभीरता से विचार करिए कि यदि एक महीने के लिए न्यायालय बंद कर दिया जाए तो देश का क्या हाल होगा और एक दिन के लिए अगर पुलिस का काम रोक दिया जाए तब देश का क्या हाल होगा। आप गंभीरता से विचार करिए कि जो न्यायाधीश न्यायालय में बैठकर पुलिस वालों को मनमानी डांट लगाता है, उस न्यायाधीश को कुछ दिनों के लिए पुलिस वाले की जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो उसकी पोल खुल जाएगी। वह एक घंटे भी उसे जगह पर खड़ा होकर भीड़ को नहीं संभाल सकेगा। यदि किसी न्यायाधीश को किसी जरूरत के लिए गाड़ी की जरूरत हो तो पुलिस वाला ही अपने रूप से गाड़ी लाकर उस न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। स्वाभाविक है कि पुलिस वाला गाली सुनता है न्यायाधीश नहीं। हमने सुना है कि हमारे एक उच्च न्यायालय ने आग लगने के प्रकरण में स्वप्रेरित कार्यवाही करते हुए जांच शुरू कर दी। हमारे सर्वा ेच्च न्यायालय तीन महीने से रामदेव और मेडिकल एसोसिएशन के प्रकरण में अनावश्यक उलझा हुआ है। हमारा सुप्रीम कोर्ट महिनो से अरविंद केजरीवाल की जमानत प्रकरण में उलझा हुआ है, रोज ही किसी न किसी न्यायालय में इस जमानत का प्रकरण चलता रहता है। क्या यह प्रश्न उचित नहीं है कि हमारे उच्च न्यायालय और सर्वा ेच्च न्यायालय के पास इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। क्या हत्याओं के मामले स्वप्रेरित नहीं है क्या जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले स्वप्रेरित नहीं है। कहीं आग लग जाए कहीं सड़क खराब हो जाए कहीं पर्यावरण प्रदूषण हो जाए तो हमारे न्यायालय ऐसे मामलों में इतनी अधिक रुचि क्यों लेते हैं। इसलिए मेरा यह मत है कि इसमें न्यायाधीश गलत नहीं है न्यायपालिका गलत नहीं है बल्कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया गलत है जिसमें न्यायपालिका को अपराध नियंत्रण में कोई भूमिका न देकर अपराध नियंत्रण की सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी गई है। आप गंभीरता से सोचिए कि यदि उत्तर प्रदेश में अपराधी इतने बढे हुए थे तो उसमें कौन दोषी था यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस न्यायपालिका से अलग होकर गैर-

कानूनी तरीके से अपराधियों को नहीं मारती तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी आराम से रह पाती। मेरा फिर भी यह कहना है कि न्यायपालिका का कार्य करने का तरीका गलत है और पुलिस न्यायालय के बीच में एक समझौता होना चाहिए।

हमारे एक मित्र गुप्ता जी ने यह लिखा है कि अगर पुलिस थाने हटा दिए जाएं पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और उनकी जगह न्यायालय खोल दिए जाएं तो अपराध रुक जाएंगे। मैं उनसे किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हूं क्या उत्तर प्रदेश की जनता न्यायालय के प्रभाव से शांत हुई है या पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपराधियों को मार देने के कारण। पुलिस वाले अपनी नौकरी दांव में डालकर हत्यारों को मार रहे हैं और न्यायालय पुलिस वालों पर जांच बिठा रहा है। गुप्ता जी न्यायालय का पक्ष ले रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं खुद लिखा है कि यदि न्यायालय एक महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो समाज पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन अगर एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो सब जगह उथल-पुथल मच जाएगी। यहां तक की न्यायपालिका के न्यायाधीश भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समय में हमारी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, न्यायालय की नहीं।

न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों ही संविधान में बराबरी की भूमिका में माने जाते हैं तीनों में किसी को ना कभी ऊपर होना चाहिए ना नीचे क्योंकि लोकतंत्र में यह तीनों चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तीनों एक दूसरे के सहायक होते हैं और नियंत्रक भी होते हैं। यदि कोई एक मनमानी करने लगे तो अन्य दो उस पर अंकुश लगाते हैं यही आदर्श लोकतंत्र है। पंडित नेहरू ने न्यायपालिका को कमजोर करके कार्यपालिका को बहुत शक्तिशाली बना दिया था उन्होंने राष्ट्रपति के भी अधिकार कम कर दिए और न्यायपालिका को तो बिल्कुल ही अपंग बना दिया। था। 1973 के बाद न्यायपालिका धीरे-धीरे मजबूत होने लगी और न्यायपालिका इतनी मजबूत हो गई उसने अपने को सर्वाेच्च घोषित कर दिया। वर्तमान समय में भारत में न्यायिक तानाशाही चल रही है अर्थात न्यायपालिका अपने

को कार्यपालिका और विधायिका से ऊपर समझ रही है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे विचार से न्यायपालिका पर थोड़ा-सा अंकुश लगना चाहिए और तीनों को मिल कर काम करना चाहिए। इसकी पहल यदि न्यायपालिका करें तो अच्छा है अन्यथा यदि विधायिका और कार्यपालिका करेंगे तो वह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी।

ज्ञानोत्सव कार्यक्रम 2024 - एक समीक्षा

राकेश कुमार

18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। सत्ता प्राप्त पार्टी योजना बनाने में तो सत्ता से बेदखल पार्टी प्रतिरोध की राजनीति में मशगूल हो चले हैं। जनता अपना मतदान कर चुकी है। दान-प्राप्त नेता अपने को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली दरबार के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहे हैं। जनता उनकी और टकटकी निगाह से देखना शुरू कर दी है। जिस वायदे पर इन्होंने मत मांगा है उसे कब और कितना पूरा कर पाते हैं। खैर ये सब बातें लिखी जाएंगी तो मूल बात छूट जाएगी। तो बात ऐसी है कि- छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित रामानुजगंज शहर प्रातिक संपदाओं से भरा-पूरा क्षेत्र है। चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है। रामानुजगंज शहर के पश्चिम दिशा में स्थित कन्हर नदी के दूसरे तट पर रंगा स्थित है जो झारखंड में पड़ता है। रामानुजगंज भले ही छत्तीसगढ़ में स्थित हो पर इस शहर के मिजाज पर दो राज्यों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक स्तर पर तो पूर्ण नियंत्रण छत्तीसगढ़ का है पर विचार पर झारखंड का भी प्रभाव है। जून 7, 8 तथा 9 तारीख को रामानुजगंज शहर में एक अलग ही तैयारी देखने-सुनने मिल रहा है। रामानुजगंज में एक यज्ञ हो रहा है। नाम है- ज्ञानोत्सव। यह कैसा यज्ञ है- जानने-समझने के लिए 6 जून की रात ही रामानुजगंज शहर पहुंच गया था। वहां जाने पर कहीं यज्ञ मंडप दिखलाई नहीं दिया। मन में कौतूहल हुआ आखिर बिना यज्ञ मंडप का कैसा यज्ञ? सवाल कई थे। पर जवाब था- कल सुबह का इंतजार करें। सुबह हुई। आठ बजे एक सामूहिक यज्ञ शुरू किया गया। दो घंटे चले इस यज्ञ में कोई खास वेशभूषा का निर्धारण तय नहीं था। कोई पजामा-कुर्ता, कोई धोती तो कोई

पैंट-शर्ट पहनकर ही यज्ञ में भाग ले रहा था। ना कोई पुरोहित और ना कोई यजमान। पर संस्त का शुद्ध उच्चारण था और व्यवस्थित तरीके से यज्ञ में हवन पड़ रहा था। यज्ञ समाप्त होते ही छायासी साल के बुजुर्ग ने मंच संभाला। रौबीला आवाज पर शालीनता से भरपूर। एक स्वर गूंजा-आदरणीय आगंतुक यह यज्ञ और यज्ञों से अलग है। अलग इस मायने में है कि जहां पूरा भारत धार्मिक यज्ञ करता-करवाता है, वहीं यह यज्ञ सामाजिक यज्ञ है। हमने कोई विशेष तौर-तरीके या नियमों का बंधन नहीं तय किया है। जो भी चाहे वह इस यज्ञ में भाग ले सकता है। ना तो कोई शुल्क देय है और नहीं कोई शर्त। इस यज्ञ के माध्यम से हम समाज और परिवार व्यवस्था को फिर से भारत में कायम होता हुआ देखना चाहते हैं। बात खत्म हुई। दिलचस्पी बढ़ती चली गई। अब आगे क्या?पुनः ग्यारह बजे ज्ञान कथा शुरू हुई। वही व्यक्ति वही आवाज। नाम-बजरंग मुनि। समाज वैज्ञानिक। यह क्या बोल रहे हैं? इन्होंने जो बात कही। वह सब कहीं पढ़ा सुना सा लग रहा था। महात्मा गांधी और डॉ राम मनोहर लोहिया के विचारों से मेल खाती हुई बातें कही जा रही थी। यज्ञ समाप्ति के बाद इन्होंने बोलना शुरू किया। जो लगभग चार घंटों का था। सार संक्षेप में उसे यहां समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत पुराने समय में उन्नत किस्म के सिर्फ मसाले या रेशम अथवा कपड़ों का निर्यात नहीं करता था बल्कि यह तो पूरी दुनिया में जिस बात के लिए, निर्यात के लिए प्रसिद्ध था वह है- विचार। हमें सोचना चाहिए कि जब भारत देश गुलाम था तब हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी सरीखे पुरुष और विचारक पैदा हो रहे थे। और आजादी मिलते ही क्या हुआ जो यहाँ विचारों का अकाल सा पड़ गया। किसी भी घटना या बात के पीछे एक ठोस कारण छिपा होता है। और उस कारण का अपना एक इतिहास होता है। उस इतिहास की घटना में कोई नायक तो कोई खलनायक की भूमिका निभा रहा होता है। इन दो से परे एक निरीह प्राणी होता है। जो इन घटनाओं का भुक्तभोगी होता है। भारत भी भुक्तभोगी हो गया। पर किसका?नेताओं का। गांधी जहां शुद्ध स्वतंत्र विचारक थे तो वहीं जयप्रकाश नारायण समझदार। एक तीसरा नाम भी है जो ना तो विचारक थे और ना ही समझदार बल्कि वह भावना प्रधान

शुद्ध चित्त एक संत थे। नाम-विनोबा भावे। शुद्ध शरीफ आदमी। मैं मंच से आग्रह कर रहा हूँ कि आप शराफत छोड़िए और समझदार बनिए। क्यों?क्योंकि हर धूर्त तो यही चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति शरीफ बना रहे ताकि धूर्तता की दुकान फलती-फूलती रहे। इसीलिए हर नेता और धूर्त शरीफ का गुणगान और महिमा मंडन करते रहते हैं। आदर्श स्थिति में व्यक्ति को तो शरीफ होना ही चाहिए। पर क्या वर्तमान भारत में आदर्श स्थिति कायम है?नहीं। तो फिर हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हमें धूर्त नेताओं की बात में नहीं पड़ना चाहिए। वह तो चाहते ही हैं कि वर्तमान समय में जनता शरीफ बने रहे। वर्तमान समय में शरीफ का पर्यायवाची शब्द मूर्ख ही है। पुनः, बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा कि इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव में विपक्षी दलों ने एक सुर से अलापना शुरू किया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, आरक्षण खतरे में है- जो की बिल्कुल झूठी बातें हैं। यह सिर्फ झूठी अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं। कोई यह क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं से पूछा कि संविधान इतना ही पूर्ण है तो फिर सवा सौ से ज्यादा संशोधन की आवश्यकता आप ही लोगों के शासनकाल में क्यों पड़ी। सच तो यही है कि विपक्ष सिर्फ इतना चाहता है कि जब भी संविधान संशोधन हो तो मात्र कांग्रेस पार्टी ही करे। वह भी गांधी परिवार की देखरेख में तथा उनके इच्छा अनुसार। कोई यह क्यों नहीं पूछा कि क्या ग्राम सभा खतरे में है कि नहीं, क्या समाज-व्यवस्था परिवार-व्यवस्था तथा लोक-व्यवस्था खतरे में है कि नहीं? जिसे लोकतंत्र के परिपक्व होने के साथ ही मजबूत हो जाना चाहिए था। वह दिशाहीन तथा इतना कमजोर किया जा चुका है कि वहाँ से प्रतिरोध के स्वर भी नहीं फूटते हैं। संविधान संसद के कस्टडी में है। अर्थात संसद संविधान का कस्टोडियन है। कस्टोडियन होने के तीन प्रावधान हैरू- पहला-जब कोई नाबालिग हो, दूसरा-जब कोई बीमार या लाचार हो तथा तीसरा-जब वह पागल हो। क्या पचहतर साल के हो चुके लोकतंत्र में आज भी जनता नाबालिग है। क्या भारत के लोग बीमार या लाचार हैं। अथवा भारत में रह रहे भारतीय नागरिक पागल हैं। तीनों का एक ही उत्तर है- नहीं। तो फिर आज तक जनता को संविधान बनाने

का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। हमने लोकस्वराज्य में जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा का निर्माण कर नई संविधान बनाने का एक पूरी रूपरेखा तैयार की है। जिसे प्रयोग की कसौटी पर भी कसा गया है। और इसी रामानुजगंज शहर में वह प्रयोग सफल भी रहा है। 2004-05 के बीच रामानुजगंज शहर अपराध मुक्त क्षेत्र था। न्याय और सुरक्षा में हस्तक्षेप के अलावा सारा निर्णय करने का अधिकार यहाँ के रहवासियों को दिया गया था अगले पाँच साल तक रामानुजगंज लोकस्वराज का केंद्र बना रहा। यहाँ का प्रयोग सफल होता देख, मैं अति उत्साह में दिल्ली गया। पर दिल्ली तो राजनीति का मंडी निकला। उसने निराश किया। आगे ऋषिकेश गया। पर वह भी धर्म का मंडी निकला। अपनी सफलता पर मैं सोचने लगा कि जो जनता के हित में है तथा जिसका सफल प्रयोग भी किया जा चुका है, उसे लागू करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। निष्कर्ष निकला- नेताओं की नियत सही नहीं है। यह किसी खास पार्टी या नेता के लिए नहीं कहा जा रहा है। फिर भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास किया तो हठी और मठी गांधी तथा गांधीवादियों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। जिस लोकस्वराज के विचार को बिना समझे मान लिया गया वह शहर रामानुजगंज था। वहीं दिल्ली में लोग समझ तो तुरंत जाते थे पर मानने में आनाकानी शुरू कर देते थे। कारण क्या था? कारण था- हमें क्या मिलेगा, हमें का क्या फायदा होगा। जो समाज सेवा के नाम पर खुद का भला चाहते हो उनसे किसी प्रकार का उम्मीद रखना बेमानी है। तब क्या किया जाए?जवाब था- गांधी मार्ग। जनता के बीच जाओ,उन्हें जागृत करो। बताओ-समझाओ। जनजागरण करो। इसके बाद जनता खुद तय कर लेगी कि उसकी भलाई किस धारा में निहित है। जिस तरह से पूरे विश्व में पहली बार लोकस्वराज्य का प्रयोग स्थल रामानुजगंज शहर रहा। उसी तर्ज पर यह जनजागरण का भी पहला प्रयोगस्थली के तौर पर मान सम्मान प्राप्त करेगा। अपनी उपलब्धि पर इतराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम सब के कंधों पर यह एकमात्र दायित्व है कि हम पूरे भारत में जनजागरण की शुरुआत यहाँ से करें। रामानुजगंज पन्द्रह वार्ड तथा लगभग एक सौ तीस गाँवों का शहर है। प्रत्येक सोमवार को हर वार्ड

में ज्ञानयज्ञ कर जन जागरण किया जाए तथा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के शनिवार के दिन को किसी एक गांव में जनजागरण का कार्य शुरू किया जाय। इस ज्ञानोत्सव कार्यक्रम इसी दिशा में कार्य करने के लिए रखा गया है। प्रत्येक वर्ष एक समाजवैज्ञानिक, दो समाजसेवी, पाँच समाजशास्त्री तथा पाँच समाजचिंतक को उचित सम्मान देकर इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। उनके कंधों पर यह दायित्व होगा कि वह इस दिशा में अन्य चौदह या पंद्रह व्यक्तियों को तैयार करें। वैसे तो तीन दिन में लिखे जाने योग्य कई महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बार में सारी बातें लिख पाना संभव भी नहीं है। अतः शेष बातें किसी अगले अंक में पढ़ने को दिया जाएगा।

ज्ञानोत्सव कार्यक्रम 2024 - एक समीक्षा

ज्ञानेन्द्र आर्य

विगत 7, 8 व 9 जून को ज्ञान यज्ञ परिवार और मार्गदर्शन सामाजिक शोध संस्थान के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। भीषण गर्मी और 87 साल की आयु दोनों ने समाजविज्ञानी बजरंग मुनि जी को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु ये दोनों प्रतिकूल कारण भी न तो मुनि जी के जीवट को हिला सके, न ही रामानुजगंज की जनता को उसकी सामाजिक रचनात्मकता से दूर रही और न देशभर से इकट्ठा हुए अतिथि विद्वानों को! इस पूरे कार्यक्रम को ज्ञानोत्सव नाम दिया गया। इसके प्रातःकालीन सत्र में जहां वैदिक मंत्रोच्चारण से समस्त प्रति पवित्र हुई, वहीं विचार मंथन के रूप आयोजित अगले सत्र में स्थानीय एवं देश भर से आये विद्वानों ने अपनी वैचारिक आहुतिया दी। सायंकालीन सत्र की बेला में जहां सुप्रसिद्ध स्थानीय लोक गायक रामसेवक जी ने ज्ञानयज्ञ परिवार के गीतों और लोकगीतों के माध्यम से समा बाधां वहीं एकल विद्यालय अंबिकापुर की कीर्तन मंडली ने भी अपने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी।

समाज विज्ञानी श्रद्धेय बजरंग मुनि जी के समाज सशक्तिकरण के प्रयास और समाज में लोक स्वराज्य कैसे स्थापित हो की अपनी धारणा प्रस्तुत की वहीं व्यवस्था

परिवर्तन कार्यक्रम से जुड़ी हुई सभी इकाइयों ने अपने पूर्व कार्यों की समीक्षा और अग्रिम योजना प्रस्तुत की। बजरंग मुनि जी ने सभी इकाइयों को स्वतंत्र रहते हुए एक दूसरे का सहयोग करने की प्रेरणा दी। मुनि जी ने अपने 72 वर्षों के सक्रिय जीवन में जो कुछ भी सामाजिक अनुसंधान किया उन सब विचारों को एक पुस्तक श्मार्गदर्शक सूत्र संहिताश् के रूप में संकलित कर समाज को समर्पित की। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल मुनि जी के सामाजिक अनुसंधान के अतुलनीय निष्कर्षों को समाज के सामने लाना ही नही बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है, वर्तमान दुनिया में व्यक्ति और समाज तथा इसकी स्वतंत्रता और सहजीवन के बीच जो विसंगतिया आ गई हैं, जिनके कारण मानव जीवन सतयुग से कलयुग के गर्त में डूबता जा रहा है, इसे रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं इस पर चिंतन करना है!

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान प्रतिदिन रात 8:00 बजे से 9:00 बजे तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़ूम पर किसी एक सामाजिक विषय पर श्चर्चाश् कार्यक्रम आयोजित करता है। मुनि जी का कहना है कि समान विचारधारा के लोगों के बीच विचार मंथन हो तो केवल योजनाएं बनती हैं और विपरीत विचारधारा के लोगों के बीच जब संवाद होता है तो विचार मंथन हो सकता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, धार्मिक, वैश्विक और वैचारिकी के विभिन्न विषयों पर निर्भीक और निष्पक्ष विचार मंथन का यह मंच सबके लिए खुला हुआ है। इस ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में इस मंच ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंच ने अपने नियमित कार्यक्रम से लगातार जुड़ने और अपने विचार रखने वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण और पहचान सहज कर दी।

बृजेश राय जैसे युवा विचारक को समाजविज्ञानी, नरेन्द्र रघुनाथ सिंह, राकेश कुमार, संजय तांती, रामवीर श्रेष्ठ और सुनील देव शास्त्री जैसे विचारक को समाजशास्त्री और नीता आर्य, राजेश प्रजापति, माता प्रसाद कौरव, श्रीकांत सिंह और सुधीर कुमार सिंह जैसे सामाजिक चिंतकों को मंच पर प्रमाणपत्र, मोमेन्टो और अंगवस्त्र के साथ मार्गदर्शक ट्रस्ट के द्वारा 50.000 रु समाज विज्ञानी को, 40.000 प्रत्येक समाजशास्त्री

को और 10.000 प्रत्येक सामाजिक चिंतक को सम्मान राशि दी गई। यह सभी लोग मिलकर भविष्य में समाज विज्ञान पर शोध करने वाले निर्भीक, निष्पक्ष विचारकों को न केवल प्रशिक्षण देगें अपितु उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाएगें। इन पुरस्कारों का मापदण्ड बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और सामाजिक जीवन तो था ही साथ में निर्णायक स्तर पर व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था के सप्त सिद्धांतों के प्रति ष्टिकोण भी रहा। यह सप्त सिद्धांत हैं- 1- अहिंसा और सत्य, 2- सत्ता का अकेन्द्रीकरण, 3- वर्ग समन्वय, 4-श्रम के साथ न्याय, 5- सामाजिक व्यवस्थाओं की पुनरुस्थापना, 6- राज्य नियंत्रित अर्थ व्यवस्था की जगह राज्य संरक्षित अर्थव्यवस्था का प्रयोग (विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था), 7- योग्यता को प्रतिस्पर्धा की अधिकतम स्वतंत्रता। इन विषयों पर तार्किक असहमति तो चर्चा का विषय हो सकता है किन्तु किसी एक पर भी विरोध को असमाजिक कार्य माना गया है। मुनि जी के द्वारा खोजे गए और ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में पहली बार उद्घाटित ये सप्त सिद्धांत एक मार्गदर्शक की भांति वैश्विक वैचारिकी को एक नया आयाम देंगे।

क्रमशः

जीवन-पथ

आपने हम सब कृतज्ञों को दर्शन के महत्व से लेकर धर्म के गुण प्रधान स्वरूप तक की शिक्षा दी है। आपकी शिक्षा के तत्वावधान में मैं व्यवस्था के गुणों का परिशोधन करना चाहता हूँ! यदि संविधान के अन्तर्गत राज्य के माध्यम से समाज मे व्यवस्था स्थापित की गयी है तो व्यवस्था का गुण होना चाहिए कि वह समाज के परिवेश से अराजकता का नाश करे, वह खुद पथ भ्रष्ट न हो, समाज में वर्ग संघर्ष, जातीय कटुता, साम्प्रदायिकता, हिंसा, अपराध तथा अर्थ और नीति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब समाज में ऐसी कोई कुपित परिस्थिति परिलक्षित न हो तो हमे समझना चाहिए कि व्यवस्था करने वाली इकाई अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है अन्यथा व्यवस्था का क्या अर्थ सिद्ध हो सकता है?आज हमारे समाज का माहौल

क्या है? क्या हमे व्यवस्था के गुण प्रधान स्वरूप की विवेचना नहीं करनी चाहिए?...विवेक प्रश्नसूचक स्थिति में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करके चुप हो जाता है। और जीवन में धर्म की भूमिका के विषय में तुम क्या कहोगे विवेक?.....प्रोफेसर उससे पुनः प्रश्न करते हैं।

सर! आपने मनुष्य के जीवन में धर्म के प्रभाव के विषय में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, मैं उसे अक्षरशः स्वीकार करता हूँ। वास्तव में ही आपके दृष्टिकोण के अनुसार यह धर्म का प्राकृतिक स्वरूप होता है कि धर्म का कोई उपनाम नहीं होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। धर्म, हिन्दू और इस्लाम के रूप में अपनी पुष्टि नहीं करता है बल्कि यह युक्त एवं युक्तहीनता के आधार पर अपने अस्तित्व के होने एवं न होने की पुष्टि करता है। क्योंकि यह यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की स्वाभाविक नैतिकता का विषय है। .....वह एक बार प्रोफेसर की तरफ देखता है और पुनः कहता है-सर! मेरा उद्देश्य देश के संविधान को या समाज की बहुत सी मर्यादाएं प्रवृत्त करने वाले नीति के अन्य अधिष्ठाताओं को अपमानित करने का नहीं है। क्योंकि मैं आपके सामने यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि धर्म के मूल स्वभाव को निरपेक्ष कहने का कोई वस्तुनिष्ठ आधार होता ही नहीं है। मूलतः यह तो लोगों के बीच भ्रम पैदा करने वाला दृष्टिकोण है। मानवता को श्रद्धा के नाम से वर्गीकृत करने वाला विषय है।